

निबंधन एवं शर्तें
परामर्शदाता-परिवार नियोजन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से उपरोक्त उल्लिखित पद पर पूर्णतः संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित करता है।

भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

परामर्शदाता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परिवार नियोजन प्रभाग में पदस्थ रहेगा और सीधे तौर पर उपायुक्त, परिवार नियोजन के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा। पद के विशिष्ट उत्तरदायित्व निम्नवत हैं :

1. वर्तमान एफपी निगरानी प्रणाली की समीक्षा करना, संकेतकों, डाटा स्रोतों की पहचान करना और विस्तृत आंकड़े विश्लेषण योजनाएं और मूल्यांकन प्रगति के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप विकसित करना और एफपी क्रियाकलापों की योजना बनाने में सहयोग करना।
2. एफपी गतिविधियों के अनुमोदित बजटों के व्यय पैटर्न की निगरानी सहित राज्यों में कार्यक्रम की समग्र निगरानी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए सुझाव देना ताकि यदा-कदा चिह्नित समस्याओं में सुधार किया जा सके।
3. एचएमआईएस आंकड़ों के विश्लेषण में सहयोग करना और राज्यों और जिला स्तरों हेतु मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।
4. राज्य एवं जिला स्तरों पर आंकड़ों में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए स्थल पर आंकड़ों की पुष्टि हेतु क्षेत्रीय दौरे करना और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
5. समीक्षा बैठकों के लिए उक्त गुणवत्ता वाले विश्लेषित आंकड़े एवं रिपोर्ट प्रदान करना, जब कभी आवश्यक हो तो वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक कार्य योजनाएं प्रदान करना और इनका प्रसार करना।
6. साक्ष्य आधारित योजना और एफपी की निगरानी में सहयोग प्रदान करने के लिए जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों (उदाहरणतः एनएफएचएस/डीएलएचएस/एसआरएस/एचएस) से आंकड़ों का प्रयोग कर आंकड़ों को क्रमवार लगाना, विश्लेषण करना और रिपोर्ट तैयार करना।
7. एचएमआईएस आंकड़ों पर आधारित डेस्क अनुसंधान करना। मुद्दों को प्रकाश में लाना जिन्हें अधिक अन्वेषण की आवश्यकता है।
8. देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एनएचएम के तहत राज्य कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के एफपी घटक का मूल्यांकन करना और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपयुक्त कार्रवाइयों का सुझाव देना। यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना कि संशोधित राज्य पीआईपी में सुझावों का सन्तोषजनक ढंग से समाधान किया गया है।
9. राज्यों/जिलों/सुविधा केन्द्रों की शक्तियों और कमियों का पता लगाने के लिए आवधिक दौरा करना और कमियों पर काबू पाने हेतु कदमों पर विचार-विमर्श करना। यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना कि सहमति वाले कदमों का क्रियान्वयन किया गया है।
10. नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण दौरे करना और उन पर रिपोर्ट देना इसमें निष्पादन मानक मूल्यांकन करना और प्रशिक्षणपश्चात् राज्य स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी पहलों का मूल्यांकन करना।
11. समय-समय पर पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

अपेक्षित अर्हताएं एवं अनुभव

- जन स्वास्थ्य क्षेत्र में कम से कम 2 वर्षों के अनुभव के साथ जन स्वास्थ्य और संबंधित विषयों में मास्टर्स अथवा समकक्ष।
- आरसीएच/एनएचएम पर मुख्य बल के साथ जन स्वास्थ्य एवं विकास कार्य का अनुभव।

आवश्यक कौशल एवं योग्यताएं

- सशक्त महत्वपूर्ण विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन कौशल
- हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्कृष्ट अंतर्संबंध विषयक कौशल, मौखिक एवं लिखित सम्प्रेषण कौशल
- कम्प्यूटर में दक्षता
- प्रबंधन और फील्ड स्टॉफ के साथ मेल जोल की क्षमता
- व्यापक तौर पर यात्रा हेतु इच्छा एवं क्षमता।

रिपोर्टिंग: उपायुक्त (परिवार नियोजन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

आयु: आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को अधिकतम सीमा 50 वर्ष और फील्ड दौरों के लिए अच्छा स्वास्थ्य।

पारिश्रमिक सीमा: रुपए 60,000/- से रुपए 1,20,000/- प्रतिमाह

स्थान: नई दिल्ली

आवेदन कैसे करें: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे टीओआर के साथ संलग्न आवेदन प्रपत्र जो एनएचएसआरसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, को डाउनलोड करें तथा दिनांक **28-Jun-2019** तक आवेदन पूर्णतया भर कर rch.recruitment@gmail.com पर ई-मेल करें। अन्य रूप से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र में आवेदित पद का उल्लेख किया गया है अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।